

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग
जी. 3 राजमहल रजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

e-mail- caodlb@gmail.com
Fax No.- 2222403
Tel No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ड)लेखा/डीएलबी/सड़क निर्माण/2017-18/28229

दिनांक : 11/04/18


संशोधित स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा की क्रियान्वति के क्रम में राज्य के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सड़क सुधार (Road Restoration) कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ड)लेखा/डीएलबी/2017/सड़क निर्माण/20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। इसके उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 28399-428 दिनांक 20.02.2018 द्वारा 12 नगरीय निकायों में सड़क निर्माण/सड़क सुधार (Road Restoration) कार्य करवाने हेतु संशोधित स्वीकृति आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों की निरन्तरता में रुडसिको द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार नीचे वर्णित नगर निकायों में कार्य की लागत में वृद्धि होने के कारण उनके सम्मुख वर्णित अनुसार संशोधित राशि के कार्य करवाये जाने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	जिला	नगर निकाय का नाम	कार्य की पूर्व में लागत	अतिरिक्त कार्य की लागत	संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
1.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	15.17	5.00	20.17
2.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	8.28	5.00	13.28
योग			23.45	10.00	33.45

अन्य शर्तें व विवरण पूर्व में जारी विभागीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 20677 दिनांक 08.11.2017 एवं संशोधित स्वीकृति आदेश क्रमांक 28399-428 दिनांक 20.02.2018 अनुसार यथावत् रहेंगे। उक्त अतिरिक्त कार्य करवाने की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव


क्रमांक : प.6(ड)लेखा/डीएलबी/एसबीएम/2017-18/28230-248 दिनांक : 11/04/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

E:\desktop 2018\paliwal g\paliwal ji all letter.docx

06. कार्यकारी निदेशक, रूडसिकों, लालकोटी स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संशोधित स्वीकृति आदेश में वर्णितानुसार कार्य को सम्पादित करवाने की सुनिश्चिता करें।
07. सम्बन्धित सभापति/अध्यक्ष नगर परिषद/नगरपालिका ।
08. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय ।
09. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय ।
10. मुख्य अभियन्ता/परियोजना निदेशक, रूडसिको, लालकोटी स्कीम, जयपुर।
11. सम्बन्धित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग राज. ।
12. सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता नगर निकाय ।
13. प्रभासी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
14. रक्षित पत्रावली ।


(भुपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता